Auction list of the shops situated in Civil Court Meerut premises for the Financial Year 2014-15

SL.No.	Shop No.	Nature of shop	Name of the Highest Bidder for F.Y. 2013-14	Max. Bid amount for fin. year 2013-14	Amount of Security 20% F.Y. 2014-15	Min. Bid Amount for F.Y. 2014-15 10%
1	26	Photostat	Sanjay	36000	7200	39600
2	11	Tea	Sri Umed Singh Bist	70000	14000	77000
3	16	Chat	Vacant	67000	13400	73700
4	20	Photostat	Sri Jamaluddin	105600	21120	116160
5	21	Chat Phal	Vacant	80000	16000	88000
6	23	Juice	Vacant	75000	15000	82500
7	32	Tea	Sri Praveen	153000	30600	168300
8	35	Paan	Sri Vinay Kumar	19000	3800	20900
	Total					

माननीय जिला न्यायाधीश,
मेरठ।

महोदय,

आज दिनांक 05.04.2014 वास्ते 08 बकाया दुकानों की नीलामी की नियुक्त है। जिसकी नीलामी की प्रक्रिया आज अपराहन 02:00बजे तेरह न्यायालय भवन में स्थित मीटिंग हॉल में सम्पन्न हुई। उक्त नीलामी प्रक्रिया में निम्न न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुये। 1– श्री राजा राम सरोज, अध्यक्ष नीलाम समिति/अपर जिला जज, न्या0सं0–1, मेरठ, 2– श्री सतीश चन्द्र शर्मा, सदस्य नीलाम समिति/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,मेरठ तथा 3– श्री जे0के0 तिवारी, सदस्य नीलाम समिति/ अपर जिला जज, न्या0सं0–7, मेरठ उपस्थित हुये।

आज की नीलाम प्रकिया के सम्पन्न कराने हेतु नीलामी की सूचना अधिकतम प्रचार एवं प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी। तथा सूचना नियम व शर्तें जिला एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड व अन्य विभागों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करायी गयी थी। परन्तु व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त भी केवल दुकान सं0–7 की नीलामी छुडाने हेतु केवल एक व्यक्ति श्री पवन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द निवासी के–4, 4163–64 शास्त्री नगर मेरठ ही उपस्थित हुये जिनके द्वारा उक्त दुकान के सम्बन्ध में वांछित धरोहर राशि अंकन 14,400/–रू0 जमा की गयी। और कोई अन्य व्यक्ति इस बोली में सम्मिलित नहीं हुआ। अन्ततः उक्त बोली अंकन 79,200/–रू0 में श्री पवन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द निवासी के–4, 4163–64 शास्त्री नगर मेरठ के नाम आपके आदेश के अधीन स्वीकार की गयी।

बादहू श्री पवन अग्रवाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र बकाया धनराशि को जमा कराने के लिये सात दिन का समय की याचना की गयी है जिसपर अध्यक्ष नीलाम समिति द्वारा सहमति व्यक्त कर दी गयी है।

समिति की राय में शेष दुकानों की नीलामी हेतु पुनः दिनांक 14–04–2014 नियुक्त किये जाये हेतु निर्णय सर्वसमिति से भी लिया गया तथा यह भी राय व्यक्त की गयी कि नीलामी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार हेतु इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुये माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर डाली जाये तथा जिला एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

आख्या अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(जे0के0 तिवारी)	(सतीश चन्द्र शर्मा) 5/4	5/4/2014 (राजा राम सरोज)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
नीलाम समिति/	नीलाम समिति/	नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,	विशेष न्यायाधीश,	अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–7, मेरठ।	एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,	न्यायालय सं0–1, मेरठ।
	मेरठ।	

Approved
5/4/2014
जिला न्यायाधीश
मेरठ

<u>नीलामी की शर्ते</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2014–2015 के लिये शेष दुकानों चाय, हलवाई, चाटफल व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 14–4–2014 को प्रातः 10:30 बजे जिला एंवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते है। नीलामी के नियम तथा शर्ते इस प्रकार है–

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योंरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2013–2014 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरटी–मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तो के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हे एक अन्टरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल.पी.जी. गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगें।

13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

14. ठेका शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।

15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थो की बिक्री नहीं करेंगे।

16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवम् उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

(जे0के0 तिवारी) सदस्य/नीलामी समिति/ अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–07, मेरठ	(सतीश चन्द्र शर्मा) सदस्य/नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,मेरठ	(राजा राम सरोज) अध्यक्ष/नीलामी समिति अपर जिला जज, न्यायालय सं0–1, मेरठ,